(33)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 185–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–1995 पारित व्दारा – अपर कलेक्टर, अशोकनगर – प्र0क0 230/1991–92 स्व0निगरानी

शिवुआ पुत्र बुलखा चमार
ग्राम सेमरी जुम्मन तहसील
व जिला अशोकनगर म0प्र0 ––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी.एन.त्यागी)

आ दे श
(आज दिनांक 3 –12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, अशोकनगर व्दारा प्र0क0 230/1991–92 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–11–1995 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार वृत्त शाढौरा तहसील अशोकनगर ने प्र0क0 194 अ–19/1984–85 में पारित आदेश दि. 19–4–1990 से ग्राम सेमरी जुम्मन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 128/1 में से रकबा 0.418 हैक्टर का व्यवस्थापन आवेदक को किया। व्यवस्थापन वावत् शिकायत होने पर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने शिकायती आवेदन की जांच कर कलेक्टर अशोकनगर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर

अशोकनगर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी क्रमांक 230/1991-92 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 16-11-1995 पारित किया तथा तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 19-4-1990 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 16-11-1995 के अवलोकन पर पाया गया कि यह निगरानी न्यायालय में दिनांक 23.1.2015 को प्रस्तुत की गई है अर्थात निगरानी लगभग 19 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत है। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर व्दारा 30.8.1995 को तर्क सुनकर प्रकरण दिनांक 30.8.1995 को आदेश के लिये बंद कर लिया, किन्तु आगे क्या कार्यवाही हो रही है बार-बार आवेदक के पूछने पर बताया नहीं। खसरों में आवेदक भूमिस्वामी बना रहा जिसके कारण आवेदक ने समझ लिया कि अपर कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आवेदक को आदेश की जानकारी 27.12.14 को हुई एंव 27-12-14 को नकल का आवेदन लगाया, तब 19-1-15 को नकल मिलने पर यह निगरानी जानकारी के दिन से समयावधि में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक पढ़ा-लिखा नहीं है केवल दस्तखत करना जानता है। इस संबंध में अपर कलेक्टर के स्वमेव निग0प्र0 क0 230/1991-92 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पेशी 30-8-1995 को तर्क श्रवण कर अपर कलेक्टर ने प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 31-8-95 को सुरक्षित किया है। आगे 31-8-95 की आर्डरशीट में आदेश पारित होना टंकित है किन्तु आर्डरशीट काट दी गई । इसके वाद पुनः टाईप कर 31-8-95 को लिखा गया कि अति महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य में व्यस्त रहने से आदेश पारित नहीं किया जा सका,

प्रकरण दिनांक 27-9-95 को पेश हो। जब दिनांक 31-8-95 को काटी गई आर्डरशीट अनुसार आदेश पारित एंव घोषित हुआ है स्पष्ट है अपर कलेक्टर से कहीं न कहीं त्रृटि हुई है जिसके कारण इस तिथी के वाद 27-9-95, 30-10-95 तक आदेश पारित नहीं किया गया एंव न ही आवेदक को पेशी नोट कराई गई एंव इन आर्डरशीट में आवेदक की उपस्थिति अनुपस्थिति भी अंकित नहीं है। दिनांक 16-11-95 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जब उक्तानुसार पेशियों पर आवेदक को पेशी नोट नहीं कराई गई, एंव 16-11-95 की अंतिम आर्डरशीट में भी आवेदक को आदेश की प्रति भेजना अथवा आदेश सॅसूचित करने का उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक को आदेश सॅसूचित नहीं किया, जिसके कारण आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये विवरण पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5/ अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 16-11-95 में उल्लेख किया है कि तहसीलदार ने विज्ञप्ति का प्रकाशन सही ढंग से नहीं कराया, परन्तु उन्होंने यह भी माना है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है। इसी प्रकार पंचायत के प्रस्ताव पर टीका टिप्पणी की है एंव यह भी स्वीकार किया है ग्राम पंचायत से सरपंच का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उन्होंने तहसीलदार का आदेश निरस्त करने हेतु यह भी आधार लिया है कि 0.500 हैक्टर से अधिक भूमि का व्यवस्थापन करना शासन नियमों के विरूद्ध है, जबकि तहसीलदार ने आवेदक के हित में ग्राम सेमरी जुम्मन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 128/1 में से रकबा 0.418 हैक्टर का व्यवस्थापन किया है । स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर अशोकनगर ने जानबूझकर आवेदक के हित में हुये मात्र दो वीघा भूमि के व्यवस्थापन को निरस्त किया है जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने भूमि व्यवस्थापन के पूर्व विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया है तथा ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त किया है एंव आवेदक की भूमि से सर्वे क्रमांक 128/1 रकबा 0.418 हैक्टर भूमि लगी होने

एंव आवेदक का पूर्व से कब्जा चले आने एंव खेती करने के आधार पर ग्रामीणों की साक्ष्य के आधार पर भूमि का व्यवस्थापन किया गया है। देवीप्रसाद विरूद्ध नाके 1975 **JLJ 155** एंव 1975 रा.नि. 67 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि आबंटन किया गया, भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये - पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन शक्तियों प्रयुक्त करते हुये परिसीमा के पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - भूमि आवेदक को आवंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों से पात्र भूमिहीन बंटितियों को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर, अशोकनगर व्दारा प्र0क्र0 230/1991-92 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-1995 में तहसीलदार वृत्त शाढौरा के प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, अशोकनगर व्दारा प्र0क्र0 230/1991-92 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-1995 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव ग्राम सेमरी जुम्मन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 128/1 में से रकबा 0.418 हैक्टर पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर